न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 38/2018 **दायरा दिनांक : 21.02.2018**

उनवान

मदन लाल पुत्र रामनाथ, आयु 57 साल, जाति धाकड़, निवासी रामपुरिया, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– रमेश चन्द्र पुत्र रामनाथ, आयु 46 साल, जाति धाकड़, निवासी रामपुरिया, तहसील अटरू, जिला बारां

2– सुरेश चन्द पुत्र रामनाथ, आयु 42 साल, जाति धाकड़, निवासी रामपुरिया, तहसील अटरू, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सत्येन्द्र शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 23.12.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 87/2014 निर्णय दिनांक 21.12.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि ग्राम रामपुरिया माल बरावदी, तहसील अटरू में प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 90 खसरा नम्बर 51 रकबा 0.11 हेक्टर प्रार्थी के तथा खसरा नम्बर 52 रकबा 0.02 हेक्टर व खसरा नम्बर 53 रकबा 0.05 हेक्टर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पिता के हिस्से में आयी है । प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं जिनके उपरोक्त आराजी उनके पूर्वजों की है जो कि पारिवारिक बंटवारा हो जाने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के दर्ज हुई है । प्रार्थी व अप्रार्थीगण के स्वामित्व की खसरा नम्बर 51, 52, 53 का कुल रकबा 0.18 हेक्टर पर आने जाने का स्थायी रास्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी के स्वामित्व में कुआ एवं बाड़ों (खेतों) पर जाता है जो पूर्व से ही 15 फीट चौडाई में है जिस पर प्रार्थी वक्त पारिवारिक बंटवारे से निकलता चला आ रहा है । उक्त रास्त से आने जाने एवं कृषि यंन्त्र व जानवर लाने ले जाने के उपयोग में लेते चले आ रहे हैं । यह रास्ता पुराने समय से बना हुआ है लेकि इस वर्ष अप्रार्थीगण ने रास्ते में पत्थर डालकर बन्द दिया है जिसे खुलवाया जावे । निर्णय अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून, प्राकृतिक न्याय के विपरीत तथ्यों से असंगत है, जो निरस्त योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने भू अभिलेख निरीक्षक सर्किल कवाई तहसील अटरू द्वारा प्रस्तुत मौके एवं कब्जे की रिपोर्ट दिनांक 09.11.2017 पर गौर नहीं किया । अपीलांट द्वारा उसके बाडे खेत तक जाने का कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है । अपीलांट का रास्ता पक्षकारों के बने हुए मकान के पश्चिम की ओर ही स्थित है जिसका अपीलांट उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है । अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के बाड़ों के पश्चिमी ओर 15 फीट का रास्ता है उसके बाद बद्रीलाल एवं बंशीलाल के बाड़े स्थित है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2017 अपास्त किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । भूमि शामलाती खातेदारी की है । पत्रावली पर उपलब्ध नक्शों से रास्ता दिया जाना उचित है । अतः 251 (ए) के तहत रास्ता कायमी की कार्यवाही के लिए पत्रावली रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.12.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि धारा 251 (ए) के तहत रास्ता कायमी की कार्यवाही करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.02.2020 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा